भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4499
दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम का कार्यान्वयन

+4499. श्री सौमेंदु अधिकारीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम), पेयजल और स्वच्छता के लिए किए गए बजटीय आवंटन का वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक व्यय के संदर्भ में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त मिशन की योजनाओं के तहत राज्यों को वित्तपोषण देने से पहले पूरा किए जाने वाले कोई निर्देश या कुछ शर्तें जारी की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश भर में उन ग्रामीण परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिन्हें अभी भी नल के कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त मिशन के तहत कार्यान्वित जल आपूर्ति की प्रगति और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र समीक्षा या संपरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे; और
(ङ) उक्त मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और राज्यों द्वारा विफल परियोजनाओं या खराब तरीके से कार्यान्वित परियोजनाओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त मिशन के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई शुरू की गई है/शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.03.2026 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 03.03.2026 तक, देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 3.54 करोड़ परिवारों के लिए कार्य संबंधित राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दिनांक 03.03.2026 तक देश भर में नल जल आपूर्ति की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

जेजेएम के विस्तारित चरण में "जनभागीदारी" के माध्यम से बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सततता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अलग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए 2026-27 के लिए बजट अनुमान के रूप में 67,670 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। 2019 से मिशन के तहत वित्तीय प्रगति का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तथा इसे निम्न लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

(घ): विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर चयनित एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87% परिवारों ने पिछले सप्ताह में जल प्राप्त करने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति का संकेत है; 84% परिवारों को अनुसूची के अनुसार पानी मिलता है; 80% परिवारों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी पानी मिलता पाया गया; 76% परिवार बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण से मुक्त पाए गए और 81% परिवार आपूर्ति स्रोत के रासायनिक संदूषण से मुक्त पाए गए तथा मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मापदंडों पर विचार करते हुए, 76% पारिवारिक नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए।

(ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। राज्यों ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में दुर्लभ भरोसेमंद जल स्रोतों, भू-जनित संदूषण, दुर्गम इलाके, अलग-थलग बसी हुई बसावटें, सीमित तकनीकी क्षमता, बढ़ती सामग्री लागत और सांविधिक मंजूरी में देरी आदि जैसी चुनौतियों की सूचना दी है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता, त्वरित मंजूरी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, एसपीएमयू, डीपीएमयू की स्थापना और स्थानीय तकनीकी कौशल का सुदृढ़ीकरण करने के लिए नल जल मित्र कार्यक्रम जैसे उपाय शुरू किए। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान की पहल: कैच द रेन दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्रोत स्थिरता, समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण और महिलाओं के नेतृत्व को और बढ़ावा देती है।

नल जल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूपीय प्रणाली विकसित की है, जिसमें लक्षित सुपुर्दगी तथा विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए सांविधिक प्रावधानों के अध्यधीन परिवार के मुखिया के आधार को जोड़ने के साथ-साथ सृजित परिसंपत्ति की जियो-टैगिंग, भुगतान करने से पहले तृतीय-पक्ष का निरीक्षण, पायलट आधार पर सेंसर-आधारित समाधान के माध्यम से गांवों में जलापूर्ति की माप और निगरानी आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, जेजेएम के अंतर्गत, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत विद्यमान निगरानी तंत्रों के कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण को तेज करने के लिए ग्राम/जिला डैशबोर्ड और ग्राम स्तर के डैशबोर्ड को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल से जोड़ना, जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद, आईएमआईएस मॉड्यूल के माध्यम से राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) की भूमिका का संस्थागतकरण, तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी की भूमिका, संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना, स्रोत स्थिरता को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, समुदाय प्रबंधित पाइपगत जल प्रणालियों पर पुस्तिका, एकीकृत पाइपगत जल प्रणाली के लिए विशिष्ट आईडी आदि जैसे कदम हाल ही में उठाए गए हैं।

अनुबंध

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4499 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

03.03.2026 तक देश भर में नल जल आपूर्ति की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख में कुल ग्रामीण परिवार	नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		नल जल आपूर्ति रहित ग्रामीण परिवार	
			संख्या में	%	संख्या में	%
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.62	100.00	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	95.53	71.71	75.06	23.82	24.94
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	2.29	100.00	-	-
4.	असम	72.24	59.03	81.71	13.22	18.29
5.	बिहार	167.55	160.36	95.71	7.19	4.29
6.	छत्तीसगढ़	49.97	41.20	82.44	8.77	17.56
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.85	100.00	-	-
8.	गोवा	2.64	2.64	100.00	-	-
9.	गुजरात	91.18	91.18	100.00	-	-
10.	हरियाणा	30.41	30.41	100.00	-	-
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	17.09	100.00	-	-
12.	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	15.64	81.23	3.61	18.77
13.	झारखंड	62.53	34.51	55.18	28.03	44.82
14.	कर्नाटक	101.31	87.83	86.70	13.48	13.30
15.	केरल	70.77	38.84	54.88	31.93	45.12
16.	लद्दाख	0.41	0.40	97.97	0.01	2.03
17.	मध्य प्रदेश	0.13	0.12	91.45	0.01	8.55
18.	महाराष्ट्र	111.29	82.27	73.92	29.02	26.08
19.	मणिपुर	146.78	132.75	90.44	14.02	9.56
20.	मेघालय	4.52	3.59	79.60	0.92	20.40
21.	मिजोरम	6.51	5.43	83.47	1.08	16.53
22.	नागालैंड	1.33	1.33	100.00	-	-
23.	ओडिशा	3.64	3.44	94.47	0.20	5.53
24.	पुदुचेरी	88.64	68.48	77.25	20.17	22.75
25.	पंजाब	1.15	1.15	100.00	-	-
26.	राजस्थान	34.27	34.27	100.00	-	-
27.	सिक्किम	107.69	63.00	58.50	44.69	41.50
28.	तमिलनाडु	1.33	1.22	92.09	0.11	7.91
29.	तेलंगाना	125.26	112.20	89.57	13.06	10.43
30.	त्रिपुरा	53.98	53.98	100.00	-	-
31.	उत्तर प्रदेश	7.51	6.48	86.33	1.03	13.67
32.	उत्तराखंड	267.20	243.72	91.21	23.48	8.79
33.	पश्चिम बंगाल	14.48	14.19	97.97	0.29	2.03
कुल		**19,35.87**	**15,81.70**	**81.71**	**3,54.17**	**18.29**

एचएच: परिवार स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस
